

प्रपत्र-VIII
[नियम 27 का उप-नियम (17)]
पर्यवेक्षण आदेश

जब बच्चे को उसके माता-पिता, संरक्षक या किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देख रेख में रखा जाए

.....20..... का मामला संख्या.....

चूँकि इस दिन यह पाया गया है कि.....(बालक का नाम) को देखने व संरक्षण की आवश्यकता है तथा उसे(नाम), निवासी.....(पता) द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर उक्त.....(नाम) की देख रेख व पर्यवेक्षण में रखा गया और समिति इस विषय में संतुष्ट है कि उक्त बालक को पर्यवेक्षण में रखने का आदेश पारित करके उसके मामले का समुचित निपटान किया जा सकता है।

इसलिए, एतद्वारा उक्त बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधधीन..... अवधि के लिए,..... (नाम) निवासी.....(पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाता है :

1. जब कभी आवश्यकता हो, तब यह बन्धपत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति इस आदेश व उक्त..... द्वारा निष्पादित बंधपत्र, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ इस बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
2. इस बालक को उपर्युक्त माता-पिता/संरक्षक/उपयुक्त व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।
3. यह बालक..... अवधि हेतु पर निवास करेगा।
4. बालक को समिति की अनुमति के बिना..... के जिला क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।
5. बालक नियमित रूप से स्कूल जाएगा या जाएगी/ईमानदारी से आजीविका कमाने का प्रयास करेगा या करेगी।
6. जिस व्यक्ति की देखरेख में बालक को रखा जाएगा, उस व्यक्ति को उक्त बालक की समुचित देख रेख, शिक्षा व कल्याण की व्यवस्था करनी होगी।
7. बालक को अवांछनीय तत्वों के सम्पर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसे कानून का उल्लंघन करने से रोका जाएगा।
8. बालक को नशीली दवाएं अथवा नशीले पदार्थ लेने या अन्य किसी प्रकार का नशा करने से रोका जाएगा।
9. उपर्युक्त शर्तों के विधिवत पालनार्थ समिति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

..... दिनांक.....(माह) 20.....(वर्ष)

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति
यदि कोई अतिरिक्त शर्त हो तो बाल कल्याण समिति व शर्त जोड़ सकती है।